

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215153

CG-DL-E-04012020-215153

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

Part II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4201]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4201]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4702(अ).— भारत सरकार को लोकहीत में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओड़ीशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बि डि पि एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, ओड़ीशा, गेल (इंडिया) लिमिटेड, 612, उत्कल सिग्नेचर, पाहाल, एन एच-5, भुवनेश्वर-752101 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट				
धामरा-अनगुल पाइपलाइन (सेक्सन - 2A)				
अनुसूची				
राज्य - ओड़िशा				
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल हेक्टर आर वर्गमीटर
1	2	3	4	5
भद्रख	चांदबाली	पलासपुर	1132	00 21 09
			1133	00 16 02

[फा. सं. 14014/135/2019/-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2019

S.O. 4702(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of Odisha, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Odisha, GAIL (India) Limited, 612 Utkal Signature, Pahal, NH - 5, Bhubaneswar – 752101.

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA GAS PIPELINE PROJECT					
DHAMRA-ANGUL PIPELINE (SECTION-2A)					
SCHEDULE					
State : ODISHA					
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area	
				Hect. Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	
BHADRAK	CHANDBALI	PALASPUR	1132	00	21 09
			1133	00	16 02

[F. No. L-14014/135/2019-GP-II]
RAJ KISHORE, Under Secy.